मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ. क्रमांक सी-3।3।88।3।49 भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:—अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की शासकीय सेवा में नियुक्ति-जाति संबंधी सत्यापन शर्त का नियुक्ति आदेश में समावेश ।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ उम्मीदवार शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अपने आपको अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति का सदस्य बताकर एवं इसके पक्ष में प्रमाण-पत्र देकर इन जातियों के लिये देय सुविधा का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं जबकि यह वास्तव में इन जातियों के उम्मीदवार नहीं होते । ऐसी गलत जानकरी एवं झूठे प्रमाण-पत्र नियुक्ति के पश्चात् प्रकाश में आते हैं । उपर्युक्तानुसार गलत जानकारी देने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए इसके संबंध में शासन के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं,फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में न तो विशिष्टता रहती है और न ही एकरूपता । अत: उक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति किये जाने वाले उम्मीदवारों के जो अपने आपको अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति का सदस्य बताते हैं तथा इस आशय के प्रमाण-पत्र देते हैं उनके नियुक्ति आदेशों में इस बात का अनिवार्यत: उल्लेख किया जाए कि यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उसके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी गलत पाई गई तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किए जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव,
उप-सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.